राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2411/2024

मुकेश चन्द यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सुखाना जोहड, ग्राम पंचायत, जखोड, तहसील सूरतगढ, जिला झुन्झुनू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2024
आदेश की दिनांक : 29.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है, जिसके बायें पैर में 40 प्रतिशत निशक्तता है। अपीलार्थी की नियुक्ति भी दिव्यांग श्रेणी से हुई थी। अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी है। पदोन्नति उपरांत आदेश दिनांक 24.07.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, सुखाना जोहड़, जिला झुन्झुनू से राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, खेसवों की ढाणी, झुन्झुनू किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन पास ही के विद्यालय में न कर दूर स्थान पर किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने समय समय पर दिव्यांग व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये हैं। परिपत्र दिनांक 21.08.2008 के द्वारा यह प्रावधान रखा

गया है कि पदस्थापन के समय विकलांग व्यक्ति को निश्चित स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर पदस्थापित करने के सम्बन्ध में विचार किया जावे। अपीलार्थी से कोई उचित स्थान नहीं मांगा गया।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी दिव्यांग व्यक्ति है, जिसकी पदोन्नति के पश्चात उनका पदस्थापन दूर के विद्यालय में किया गया है। परिपत्र दिनांक 21.08.2008 के अनुसार पदस्थापन के समय विकलांग व्यक्ति को निश्चित स्थान अथवा नजदीकी स्थान पर पदस्थापित करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी से विकल्प मांगा जाना चाहिए था।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.07.2024 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आदेश दिनांक 24.07.2024 की पालना में नियत दिनांक तक नये स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं किये जाने के आधार पर पदोन्नति का परित्याग नहीं माना जाएगा।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)